होमगार्ड बनने के लिए अब इंटर पास होना जरूरा : चतन चौहान

विभागीय मंत्री ने कहा- जल्द होगा नियमावली में बदलाव

लखनऊ। प्रदेश में होमगार्ड बनने के लिए भी अब कम से कम इंटर पास होना जरूरी होगा। होमगार्ड महकमा इस पर विचार कर रहा है। जल्द ही होमगार्ड भर्ती नियमावली में बदलाव किया जाएगा। यह कहना है होमगार्ड विभाग के मंत्री चेतन चौहान का। वह बुधवार को होमगार्ड मुख्यालय पर आयोजित समीक्षा बैठक से पहले मीडिया को संबोधित कर रहे थे।

होमगार्ड का आधुनिकीकरण समय की मांग

चौहान ने कहा कि होमगार्ड का मानदेय अब सिपाही के न्यूनतम वेतन के बराबर हो गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में जब होमगार्ड के रिक्त पदों के लिए भर्तियां होंगी तो उसमें उच्च शिक्षा प्राप्त लोग आवेदन करेंगे। चेतन चौहान ने कहा कि फिलहाल यूपी में होमगार्ड के स्वीकृत पद 118348 हैं। इसमें 99 हजार ड्यूटी कर रहे हैं। शेष 19 हजार रिक्त पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग से स्वीकृति मांगी जाएगी और नए नियमों के तहत इसमें भर्तियां की जाएंगी। उन्होंने कहा कि होमगार्ड की इमेज पिछले दो-ढाई सालों में बदली है। होमगार्ड का आधुनिकीकरण हो रहा है। पहले जहां थ्री नॉट थ्री राइफल दी जाती थीं, वहीं उन्हें अब इंसास राइफल दी जा रही है, जिसकी ट्रेनिंग चल रही है। उन्होंने कहा कि होमगार्ड यूपी-100 और पुलिस महकमे में महत्वपूर्ण स्थानों पर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। चौहान ने कहा कि उनकी मंशा होमगार्ड को चुस्त-दुरुस्त बनाने की है। ब्यूरो

होमगार्ड विभाग के मंत्री चेतन चौहान ने बुधवार को विभागीय समीक्षा की।

प्रशिक्षण के लिए भी बढ़ेगा समय

चेतन चौहान ने कहा कि फिलहाल प्रशिक्षण के लिए 42 दिन मिलता है, इसे और बढ़ाए जाने की जरूरत है। उनकी कोशिश है कि कम से कम 62 दिन का प्रशिक्षण समय होमगार्ड को दिया जाए। साथ ही हर तीन साल में अलग से प्रशिक्षण कराया जाए। चौहान ने कहा कि बीते एक साल में एक भी धरना प्रदर्शन होमगार्ड द्वारा नहीं किया गया है। उनकी जो भी शिकायतें हैं, उनको पोर्टल के जरिए मंगा कर समाधान निकाला जा रहा है।

ड्यूटी पर जान गंवाने वाले जवान के परिवार को 15 लाख की मदद

चौहान ने कहा कि बीते लोकसभा चुनाव के दौरान कुल 15 होमगार्ड के जवान शहीद हुए। इनके परिवारीजनों को 15-15 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा। इसमें से चुनाव आयोग 10 लाख रुपये और होमगार्ड विभाग 5-5 लाख रुपये देगा। उन्होंने कहा कि विभाग में ऊपर से लेकर नीचे तक के कार्मिकों का ख्याल रखा जा रहा है। अरसे बाद डीआईजी और मंडलीय कमांडेंट के पदों पर प्रोन्नति की गई है। समीक्षा बैठक के दौरान डीजी होमगार्ड जीएल मीना और प्रमुख सचिव होमगार्ड अनिल कुमार समेत विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे।

30 हजार महिला होमगार्ड की होगी भर्ती

लंबे समय से खाली पड़े हैं विभाग में हजारों पद

लखनऊ। होमगार्ड विभाग में 30 हजार महिला कर्मियों की भर्ती की तैयारी है। विभाग ने इसके लिए एक प्रस्ताव तैयार कर लिया है जिस पर जल्द सीएम कार्यालय निर्णय लेगा।

विभाग में पिछले काफी समय से बड़े पैमाने पर पद खाली हैं। इन पदों को महिला अभ्यर्थियों से भरने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। हालांकि इन खाली पदों में बड़ी संख्या पुरुषों की है, लेकिन महिला सुरक्षा और

सरकार के मिशन शक्ति अभियान के मद्देनजर इन पदों को महिलाओं से भरने पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि इसको लेकर मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुतीकरण भी हो चुका है। दरअसल होमगार्ड विभाग में कुल स्वीकृत पदों की संख्या 1,18,348 है। पर मौजूदा समय में लगभग 86 हजार होमगार्ड ही महकमे में हैं। हर साल तीन से चार हजार रिटायर भी हो रहे हैं। विभाग में लंबे समय से भर्ती भी नहीं हुई है। ऐसे में विभाग की ओर से न सिर्फ इन पदों को भरने का प्रस्ताव सरकार के सामने रखा गया है बल्कि इनको महिला अभ्यर्थियों को देने की तैयारी है। ब्यूरो

यूपी में होमगार्ड सिपाही के बराबर वेतन पाएंगे

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

सुप्रीम राहत

- होमगार्ड को कांस्टेबल के न्यूनतम वेतन के अनुरूप मिलेगा भत्ता
- उत्तर प्रदेश सरकार को दिसंबर 2016 से भत्ता देने के लिए कहा

यूपी और उत्तराखंड के करीब 80 हजार होमगार्ड को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सभी होमगार्ड को कांस्टेबल के न्यूनतम वेतन के अनुरूप भत्ता (अनुपातिक) मिलेगा। अब तक यूपी में होमगार्ड को 500 रुपये प्रति कार्यदिवस के हिसाब से भत्ता मिलता था।

जस्टिस एसए बोबडे, आरसुभाष रेड्डी, बीआर गवई की पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए यूपी सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने होमगार्ड को कांस्टेबल के न्यूनतम वेतन के बराबर भत्ता देने का आदेश दिया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को दिसंबर, 2016 से ये भत्ता देने के लिए कहा है। यूपी सरकार को आठ हफ्ते में आदेश जारी करने के लिए कहा गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने होमगार्ड को नियमित करने से तो इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि नियमित कांस्टेबल के समान काम करने के कारण उन्हें न्यूनतम वेतन मिलना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के करीब 10 हजार होमगार्ड को भी कांस्टेबल के न्यूनतम वेतन के अनुरूप भत्ता देने का आदेश दिया है।